न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 123/2022

GCMS NO. : 2022/261

–: प्रार्थी :–

1. डोली बनाम आसण रिद्धरावल जरिए प्रन्यासी भंवरनाथ पुत्र नेपालनाथ जाति नाथ निवासी निमाज तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान।

बनाम

–: अप्रार्थीगण :–

1. धर्माराम पुत्र पाबुराम
2. खींवसिंह पुत्र पाबुराम
3. बहादुरराम पुत्र पाबुराम समस्त जातियान गुर्जर
4. डूंगरदास पुत्र बालुदास
5. हितेश पुत्र डूंगरदास जाति साद निवासी निमाज तहसील जैतारण
6. आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर।
7. तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:–20.07.2022

उपस्थितः– 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री चावण्डदान बारहठ, श्री एम एस पठान, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

दिनॉकः– 30/08/2022

–:: निर्णय ::–

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि डोली बनाम आसण रिद्धरावलजी शाश्वत नाबालिग है, जिनके नाम की सरहद मौजा निमाज चक नम्बर 02 में खसरा संख्या 1660 रकबा 2.3310 हैक्टर अर्थात् 14–08 बीघा कृषि भूमि के खातेदार है। उक्त भूमि में प्रन्यासी भंवरनाथ का कोई हकरव अधिकार, हित निहित नही रखता है, इसलिए डोली बनाम आसण रिद्धरावलजी की ओर से प्रन्यासी भंवरनाथ को आदेश 32 नियम 1 सीपीसी के तहत वाद/प्रार्थनापत्र पेश करने की अनुमति दी जावे, जिसके लिए अलग से प्रार्थना पत्र पेश है। सरहद मौजा निमाज चक नम्बर 02 में खसरा संख्या 1160 रकबा 2.3310 हैक्टर अर्थात् 14–08 बीघा भूमि के एकमात्र खातेदार डोली बनाम आसण रिद्धरावलजी है जो शाश्वत नाबालिग है। उक्त भूमि की सायल की ओर से प्रन्यासी भंवरनाथ ही देखरेख, खड़ाई, बुवाई व कटाई कर फसल प्राप्त करते है। उपायुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर से भंवरनाथ को प्रन्यासी नियुक्त कर रखा है। नकल जमाबंदी व गिरदावरी नकले साथ पेश है। डोली बनाम आसण रिद्धरावलजी नाबालिग होने से वह स्वयं खेती नही करते है, उनकी ओर से मूर्ति मन्दिर खुदकाश्त की भूमि पर की गई काश्त को मन्दिर मूर्ति के लिए काश्त मानी जाती है। उक्त डोली बनाम आसण रिद्धरावल की भूमि पर प्रन्यासी द्वारा ही खुदकाश्त की जा रही है। उक्त भूमि में सायल की ओर से दिनांक 20.06.2022 को बारिश होने पर [illegible] लेकर खड़ाई करने गया तो मौके पर गैरसायल संख्या 01 से [illegible] को खड़ाई करने में रोकटोक की व मना किया तब सायल ने कहा कि उक्त भूमि पर तुम्हारा कोई [illegible] व अधिकार नही है। गैरसायलान सायल को गाली, गलोच व लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हुए तथा जान से मारने की भी ऐलानिया धमकी दी, इतना ही नही गैरसायलान सायल

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:49:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

की अनुपस्थिति में खेत में प्रवेश कर खेत में खड़े खेजड़ी के पेड़ो की कटाई की व खेत की खन्दक पर लगी लोहे की फाटक भी ले गये, व खेत में खड्डे कर दिए, सायल को भारी नुकसान किया, जिसकी रिपोर्ट भी श्रीमान थानाधिकारी पुलिस थाना जैतारण में की तत्पश्चात सायल प्रन्यासी ने श्रीमान थानाधिकारी, श्रीमान उपअधीक्षक जैतारण, श्रीमान अधीक्षक महोदय पाली तथा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय पाली को भी व्यक्तिगत जाकर के रिपोर्ट प्रस्तुत की परन्तु आज दिन तक कोई कार्यवाही नही की गई तब मजबूर होकर सायल ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया है। यदि बिना किसी हक अधिकार के सायल को अपने खातेदारी खेत में खड़ाई फसल बुवाई करने में रोकटोक करते है तो सायल जो कि शाश्वत नाबालिग है जिनके हक व अधिकार प्रभावित हो रहे है। गैरसायलान को सायल के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में बिना किसी हक अधिकार के बाधा दखल व दस्तन्दाजी करने से रोके जाने हेतू यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान के पेश है। सायल प्रार्थना पत्रमें वर्णित भूमि में खातेदार व कब्जाकाश्त है। यदि बिना किसी हक व अधिकार के गैरसायलान अपने मंसूबो में सफल हो जाते है तो सायल अपने जायज हक व अधिकारो से महरूम होना पड़ेगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में संभव नही हो सकेगी। व सायल को अपनी खातेदारी की भूमि में यदि काश्त से वंचित किया जाता है तो उससे होने वाली आय से सायल को आर्थिक नुकसान होगा व सायल मन्दिर मूर्ति की सेवा, पुजा, भोग आदि देखरेख नियमित रूप से नही कर सकेगा। इसलिए सायल ने गैरसायलान के विरूद्ध गैरकानूनी कृत्यो को रोके जाने बाबत् यह प्रार्थना पत्र पेश अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। डोली बनाम आसण रिद्ध रावल शाश्वत नाबालिग है जिनकी भूमि देवस्थान विभाग जोधपुर में पंजीकृत है इस कारण से गैरसायल संख्या 06 व 07 उक्त मुकदमें में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया है। सायल के स्वयं के शपथ पत्र व जमाबंदी से व स्वामित्व से सायल के पक्ष मे प्रथम दृष्टया मामला है तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर डोली बनाम आसण रिद्धरावलजी शाश्वत नाबालिग का कब्जाकाश्त होने से सुविधा का संतुलन भी है, यदि गैरसायलान द्वारा बिना किसी हक अधिकार के लाठी के बल पर सायल को खेत में खड़ाई बुवाई नही करने देते है व खेत में खड़े पेड़ो की बिना किसी अनुमति के काटकर ले जाते है व नुकसान पहुंचाते है जिससे सायल को असीम हानि दिन प्रतिदिन हो रही है जिसकी क्षतिपूर्ति किसी सूरत में संभव नही हो सकेगी। इसलिए गैरसायलान द्वारा लाठी व धन के बल के आधार पर किए जा रहे गैरकानूनी कृत्यो को रोके जाने बाबत् उक्त कृषि भूमि को न्यायहित में रिसीवर/प्रापक के कब्जे में दिया जाना आवश्यक है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ जिसे शामिल मिसल किया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 ने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि डोली बनाम आसण रिद्धरावल शाश्वत नाबालिग होने व जिनके नाम की सरहद मौजा निमाज चक नम्बर 02 में खसरा संख्या 1660 रकबा 2.3310 हैक्टर (14-08 बीघा) कृषि भूमि के खातेदार होने व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:49:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

उक्त भूमि में प्रन्यासी भंवरनाथ का कोई हक अधिकार, हित निहित नही रखने व प्रन्यासी भंवरनाथ ही वादग्रस्त आराजी की देखरेख, खड़ाई बुवाई व कटाई कर फसल प्राप्त करने के कथन पूर्णतया असत्य व मिथ्या है जिसे गैरसायलान नामंजूर करते है। उक्त वादग्रस्त आराजी को हड़पने की मंशा से भंवरनाथ भू माफियो के साथ मिलकर मनगढंत तथ्यो के आधार पर झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि का प्रन्यासी भंवरनाथ होने के कथन पूर्णतया गलत व असत्य है। उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1660 में पिछले कई वर्षो से गैरसायल संख्या 04 व 05 के पूर्वज ही देखरेख, खड़ाई बुवाई सिंचाई कटाई करते आ रहे है तथा राजस्व अधिकारियो एवं कर्मचारियो को बिगौड़ी का भुगतान भी गैरसायल संख्या 04 के पिता बालुदास वल्द मथुरादास कौम साद साकिन निमाज करते थे उक्त बिगौड़ी की रसीदे की प्रतियां जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। व खसरा गिरदावरिया संवत 2049-2052 पूर्ववर्ती व पश्चातवर्ती में गैरसायल के पिता बालुदास के नाम जारी की हुई है उक्त खसरा गिरदावरी की प्रतियां जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश है, जिसे जवाब प्रार्थना पत्र का आवश्यक भाग माना जावे। उपायुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर से भंवरनाथ को विधिवत् रूप से प्रन्यासी नियुक्त नही कर रखा है केवल अपने ही परिवार के सदस्यो, रिश्तेदारो को बनावटी कागजातो के आधार पर फर्जी प्रन्यासी नियुक्त हो रखा है जबकि कस्बा निमाज व आस पास की मंदिरो की जमीनो को भंवरनाथ द्वारा भू माफियो को कोड़ियो के भाव में संविदा कर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया है। उक्त वादग्रस्त आराजी में पिछले 60 सालो से अधिक समय से गैरसायल संख्या 04 व 05 के पूर्वज ही देखरेख, काश्त, फसल की बुवाई, सिंचाई करते आ रहे है। डोली बनाम आसण रिद्धरावल नाबालिग होने की वजह से वह स्वयं खेती नही करने व उनकी ओर से मूर्ति मन्दिर खुदकाश्त की भूमि पर की गई काश्त को मन्दिर मूर्ति के लिए काश्त मानी जाने के तथ्य दावा करने की गरज से झूठे अंकित किए है, उक्त वादग्रस्त भूमि में भंवरनाथ व भंवरनाथ के हितबद्ध व्यक्तियो के द्वारा कभी भी काश्त नही की गई है, उक्त भूमि वक्त सेटलमेंट के बाद से ही गैरसायलान संख्या 04 व 05 के पूर्वज काश्त करते आ रहे है व खसरा गिरदावरी, बिगौड़ी रसीदे इत्यादि में गैरसायल के पूर्वजो के नाम इन्द्राज है। उक्त भूमि में सायल की ओर से दिनांक 20.06.2022 को बारिश होने पर कोई ट्रेक्टर लेकर खड़ाई करने गया तो मौके पर गैरसायलान आने का कथन गलत है जबकि उक्त वादग्रस्त भूमि में वक्त सेटलमेंट के बाद से ही गैरसायल पीढी दर पीढी काश्त करते आ रहे है तथा राजस्व रेकर्ड में गैरसायल संख्या 04 व 05 के पूर्वजो के नाम दर्ज है। गैरसायल द्वारा सायल को कभी भी गाली, गलौच व लड़ाई झगड़ा करने का प्रयास नही किया, ना ही जान से मारने की ऐलानिया धमकी दी, ना ही खेत में खेजड़ी के पेड़ो की कटाई की व न ही खेत की खन्दक पर लगी लोहे की फाट[illegible] लेकर गये, उक्त सभी कथन मनगढंत व काल्पनिक है। भंवरनाथ वादग्रस्त आराजी [illegible] हड़पकर भू माफियो को कब्जा कराने पर आमादा है इसी उद्देश्य से सायल भंवरनाथ ने गैरसायलान के विरूद्ध पुलिस थाना जैतारण में झूठी रिपोर्ट पेश की गई, जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट 59/2022 को दर्ज कर उच्च अधिकारियो द्वारा बाद अनुसंधान अन्तिम रिपोर्ट संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:49:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

13/28.02.2022 पेश हुई। इस प्रकार उक्त पुलिस कार्यवाही/जांच में वादग्रस्त आराजी पर गैरसायल संख्या 04 व 05 ही अपने पूर्वजो के समय से काश्त करते आ रहे है व मौजूदा समय में भी गैरसायल संख्या 04 द्वारा ज्वार की फसल बोई हुई है सायल भंवरनाथ का उक्त भूमि में कोई कब्जा काश्त नही रहा। प्रन्यासी के तौर पर मन्दिरो की जमीनो का भंवरनाथ द्वारा कोई लेखा जोखा प्रस्तुत नही किया है ना ही वक्त सेटलमेंट से आज दिन तक भंवरनाथ का वादग्रस्त जमीन में काश्त रहा है। इसलिए सायल भंवरनाथ को क्षतिपूर्ति होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है, ना ही सायल भंवरनाथ को आर्थिक नुकसान होने का सवाल पैदा होता है। गैरसायल संख्या 07 तहसीलदार जैतारण के विरूद्ध वाद या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80(1) सीपीसी के तहत दो माह का विधिक नोटिस दिये जाने का प्रावधान होने के बावजूद भी बिना नोटिस प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है। साथ ही गैरसायल संख्या 01 से 03 इज्जतदार व्यक्तियो को जानबुझकर इस प्रकरण में पक्षकार नियुक्त किया गया है जबकि राजस्व रेकर्ड के मुताबिक गैरसायल संख्या 01 से 03 खातेदार काश्तकार ही नही है बल्कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार के गैरसायल संख्या 04 व 05 के पूर्वज काबिज थे कालान्तर में वादग्रस्त आराजी डोली बनाम आसण रिद्धरावलज के नाम दर्ज की गई, जबकि पूर्ववर्ती राजस्व रेकर्ड में गैरसायलान की कब्जा काश्त की भूमि है तब से लेकर आज दिन तक गैरसायल संख्या 04 व 05 ही काश्त करते आ रहे है। व डोली बनाम आसण रिद्धरावल भूमि का प्रन्यासी होना बताकर गैरसायल के कब्जा काश्त की भूमि बाधा, दखलांदाजी करने के नियत से भंवरनाथ द्वारा झूठा प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है जो काबिल खारिज के है। वक्त सेटलमेंट से वादग्रस्त आराजी में बतौर काश्तकार के गैरसायल संख्या 04 व 05 के पूर्वज काबिज है नियमित रूप से वादग्रस्त भूमि में काश्त करते आ रहे है उक्त भूमि में भंवरनाथ का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है इसलिए सायल भंवरनाथ के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित नही है ना ही सुविधा का संतुलन साबित है। स्वयं न्यायालय द्वारा मौके की वास्तविक स्थिति का जायजा लेने पर गैरसायलान का ही वादग्रस्त आराजी में कब्जा काश्त पीढी दर पीढी होना साबित होगा। अतः सायल को वादग्रस्त आराजी से कोई अपूर्णीय क्षति होने का प्रश्न पैदा नही होता है बल्कि भंवरनाथ स्वयं व भंवरनाथ के हितबद्ध भू माफियो द्वारा वादग्रस्त आराजी में बाधा, दखलांदाजी, रूकावट पैदा करने से अपूर्णीय क्षति गैरसायलान को हो रही है, इसलिए सायल भंवरनाथ का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:49:26 IST
Reason: SelfAttested

(01) प्रथम दृष्टया मामला :– वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादपत्र प्रस्तुत कर हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत्

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम निमाज चक द्वितीय खसरा संख्या 1660 रकबा 2.3310 हैक्टर खातेदार डोली बनाम आसण रिद्धरावल जो शाश्वत नाबालिग है की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी द्वारा वादमित्र प्रत्यासी की हैसियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त शाश्वत नाबालिग की आराजी का विधिविरुद्ध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रार्थी की अनुपस्थिति में खेत में प्रवेश कर खेत की खन्दक पर लगी लोहे की फाटक ले गये व खेत में खड्डे कर दिए। अप्रार्थी बिना किसी हक अधिकार के वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी को फसल बुवाई खड़ाई करने से रोक टोक करते है तथा दखलन्दाजी करते है। जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है।

अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी के कथनो का खण्डन करते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा मनगढ़त तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1660 की अप्रार्थी संख्या 04 एवं 05 के पूर्वज कई वर्षो से खड़ाई बुवाई करते आ रहे है। उक्त भूमि सेटलमेंट के बाद से ही गैरसायल संख्या 04 व 05 के पूर्वज काश्त करते आ रहे है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में नही है।

वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख जमाबंदी संवत् 2077 ग्राम निमाज द्वितीय के अनुसार डोली बनाम आसण रिद्धरावल वाके देह खसरा संख्या 1660 के खातेदार अभिधारी है इस प्रकार भू अभिलेख के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण का कोई हक अधिकार प्रथम दृष्ट्या निहित होना साबित नही होता है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि उसके द्वारा यह प्रार्थना पत्र व्यक्तिगत हैसियत से प्रस्तुत नही कर शाश्वत नाबालिग के वादमित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अतः वादग्रस्त आराजी आसण रिद्धरावल की डोली भूमि होने से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित होता है अतः यह बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

<u>(02) सुविधा का संतुलन :-</u> चूंकि प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित हुआ है साथ ही वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी आसण रिद्धरावली की डोली भूमि है जो शाश्वत नाबालिग की श्रेणी में आता है जो स्वयं अपने हितो की रक्षा करने में असमर्थ है तथा ऐसी आराजीयात का उपयोग उपभोग एंव कब्जा काश्त शाश्वत नाबालिग द्वारा किया जाना ही माना जाता है, तथा ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन भी खातेदार के पक्ष में ही निहित होना माना जा सकता है। अप्रार्थीगण द्वारा खसरा गिरदावरी आदि प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी सैटलमेंट से अप्रार्थी संख्या 04 व 05 के पूर्वजो द्वारा काश्त की जाती रही थी, के संबंध में यह स्पष्ट है कि अव्वल तो अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त आराजी वर्तमान में उनके उपयोग उपभोग में है, दोयम भू अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी शाश्वत नाबालिग की खातेदारी भूमि है अतः यह तथ्य महत्वपूर्ण नही है कि उक्त भूमि कभी अप्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में रही हो। अतः यह बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में भली भांति साबित होने से प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:49:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

3. अपूर्णीय क्षति :– चुंकि प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में निर्णित हुआ हैं, साथ ही वादग्रस्त आराजी शाश्वत नाबालिग आसण रिद्धरावल की खातेदारी डोली भूमि है तथा शाश्वत नाबालिग द्वारा स्वयं अपने हितो का संरक्षण करने में असमर्थ है। भू अभिलेख के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी से कोई संबंध नही है न ही उनका कोई हक एवं अधिकार प्रथम दृष्टया निहित होना साबित होता है। ऐसी स्थिति में यदि अप्रार्थीगण को ताफैसलावाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जाता है तो यह पूर्ण आशंका है कि अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त शाश्वत नाबालिग की आराजी में अनाधिकृत रूप से दखलन्दाजी कर सकते है तथा अनाधिकृत रूप से कच्चा पक्का निर्माण आदि करके तथा अन्य किसी भी रूप से अहितकर कार्य कर सकते है जिससे प्रार्थी शाश्वत नाबालिग आसण रिद्धरावल को अपूर्णीय क्षति होना संभव है। अतः यह बिन्दू बखूबी साबित होने से प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी प्रार्थना–पत्र साबित करनें में पूर्णतया सफल रहा हैं, अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसलावाद जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं विधिसम्मत होगा कि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण स्वयं या उनके कोई वारिसान, नौकर, हाली एर्जेट या प्रतिनिधि द्वारा किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही की जावे, वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण आदि नही करे तथा न ही वादग्रस्त आराजी में प्रवेश करे।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली–भाँति साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ताफैसलावाद वादग्रस्त आराजी राजस्व मोजा निमाज चक द्वितीय पटवार हल्का निमाज चक द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निमाज तहसील– जैतारण जिला– पाली (राजस्थान) में स्थित खसरा नम्बर 1660 रकबा 2.3310 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 स्वयं या उनके कोई वारिसान, नौकर, हाली एर्जेट या प्रतिनिधि द्वारा किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही की जावे, वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण आदि नही करे तथा न ही वादग्रस्त आराजी में प्रवेश करे। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 30/08/2022 को सर-ए-अजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:49:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला–पाली)